

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

अज अदालत

बायत

मुकाम

नाश्वाराभ कोर

बनाम

वधुबीलदा कामरु

किस्म मुकदमा

नं. 11/2016

सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/11/2016	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री...<u>दामोदराम साखा</u>..... ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 R.C.R. Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक...<u>17/11/16</u>.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक कलक्टर (SDO)</b> बायत</p>	36 6/2/16
17/11/16	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय रक्षकारान उपरिष्ठ। पीठसीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्लवा होकर दिनांक <u>08/6/16</u> का पेश हो।</p>	
3/6/16	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय रक्षकारान उपरिष्ठ। पीठसीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्लवा होकर दिनांक <u>24/9/16</u> का पेश हो।</p>	
26/9/16	<p>पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अहकाम तामील अहकाम। इतना लोक पत्रावली को पेश हो।</p>	

12/12/17

पत्रावली पेश हुई।  
वकुलाय फरीकन उपस्थित।  
पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में है।  
पत्रावली इलतवा होकर  
दिनांक 10/4/18 को पेश हो।

वकुलाय

10/4/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय  
अधिकारी उपस्थित। पीठासीन अधि-  
कारी विवर कार्यालय में व्यक्त हैं। निम्नलिखित  
इलतवा होकर दिनांक 23/6/18 को  
पेश हो।

22/6/18

पत्रावली आम पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय  
लोक उद्योग मंत्रालय में व्यक्त होने के पत्रावली दिनांक  
18/9/18 को पेश हो।

18/9/18

पत्रावली आम पेश हुई। अधिकारीगण उड्डाल में  
हैं। पत्रावली आदि दिनांक 6/12/18 को पेश हो।

6/12/18

पत्रावली आम पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय  
केप्टन एड वीर सिंह के व्यक्त होने के पत्रावली  
दिनांक 22/4/19 को पेश हो।

22/4/19

पत्रावली पेश हुई।  
वकुलाय फरीकन उपस्थित।  
पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यालय में व्यक्त हैं।  
पत्रावली इलतवा होकर।  
दिनांक 22/8/19 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-8-2019	<p>पत्रावली पेश। वकील प्राचीगठ श्री धर्मदत्त-साराण ने उपस्थित होकर भवगत करवाया कि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तथा प्राचीगठ प्रार्थना पत्र को भागे नहीं चलाना चाहते हैं <del>अतः</del> तथा Not press किया है। अतः प्राचीगठ का हस्तगत प्रार्थना पत्र भन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान अ. राजद्व अधि. 1956 का जरिये Not press खारिज कर निर्णित किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभार हो। निर्णय सुक्त न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">20.8.2019 (अनिल कुमार पूनियाँ) R.A.S.</p>	<p>Not press by me y</p>